केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ,
नई दिल्ली-110001, फोन: 23353503, फैक्स: 23753923
वेबसाइट: www.cercind.gov.in

CERC

सत्यमेव जयते

याचिका सं.114/टीएल/2024 दिनांक: 30.04.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

सीकर खेत्री ट्रांसमिशन लिमिटेड, (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्णतः स्वामित्व वाली समनुषंगी), बी–9, कुतब इंस्टीट्यूश्नल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "फेस–III भाग डी_फेस I के अधीन राजस्थान (20 जीडब्ल्यू) में आरईजेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" के लिए अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	सीकर–II – खेत्री 765 केवी डी/सी लाइन	18
2.	सीकर–II – नरेला 765 केवी डी/सी लाइन के प्रत्येक छोर पर प्रत्येक सर्किट के लिए 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ सीकर–II – नरेला 765 केवी डी/सी लाइन 765 केवी 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट – 4 नंबर 240 एमवीएआर, 765 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर – 4 नंबर	
3.	सीकर–II – खेत्री 765 केवी डी/सी लाइन और सीकर–II – नरेला 765 केवी डी/सी लाइन के लिए सीकर–II पर 765 केवी लाइन बे 765 केवी लाइन बे – 4 नंबर	
4.	खेत्री और नरेला एस/एस दोनों पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर 765 केवी लाइन बे – 4 नंबर	

नोट:

(i) सीकर–II एस/एस का विकासकर्ता, स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के दो नंबर के लिए स्थान के साथ सीकर–II एस/एस पर 765 केवी लाइन बे के 4 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।

(ii) नरेला एस/एस का विकासकर्ता, नरेला एस/एस पर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्थान के साथ 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।

(iii) पावर ग्रिड, खेत्री सबस्टेशन पर 765 केवी लाइन बे के दो नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 19.3.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 114/टीएल/2024 में दिनांक 29.4.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. सीकर खेत्री ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **www.powergrid.in/subsidiaries** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **17.5.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक **22.5.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव